(110)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

निग — 2387 — पीबीआर — 16

श्रीमती शारदा पिता राजेन्द्र जाति अग्रवाल उम्र 46 वर्ष

धंधा गृहकार्य निवासी महावीर मार्ग धार, जिला धार

......................निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन

..........................विपक्षी

निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता का अत्यंता विनम्रता से अर्ज है कि यथाकथित कार्यवाही जो तहसील ने मूल प्रकरण जो अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहां चला जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक/31/2012—13/अ—2 में कायम होकर आज्ञा दिनांक 22.05.2013 होकर जिस संबंध में जो राशि की सूचना मुझे दी गई है। उसका देनदार मैं नही हूं। उस समय मुझे कोई हक नही थे। उक्त भूमि जो ग्राम तिरला की होकर सर्वे नंबर 1004/3 रकबा 0.253 हैक्टर जिसका रजिस्टर्ड डीड मेरे पक्ष में लक्ष्मण के मुख्त्यार मुरली पिता राधेश्याम अग्रवाल से क्रय की है। दिनांक 05.10.2013 के पूर्व की वसूली मुझसे नही हो सकती है व मूल प्रकरण की भी कार्यवाही माननीय श्रीमान के यहां मैने पेश की है जिसका विचारण होना है जो आज भी विचाराधीन है जो दोतफरा बाबद की है। ऐसी दशा में अभी वर्तमान में पुनःनिर्धारण नोटिस दिनांक 26.05.2016 का विचाराधिकार रहित है शून्य है। ऐसी दशा में वर्तमान कार्यवाही मेरे विरूद्ध ज़ारी व सूचना विचाराधिकार रहित होने से अपास्त होना अर्ज निगरानी मे ली जाकर यथाकथित प्रपत्र आज्ञा व आज्ञा पर से नोटिस व्यर्थ है जिस निगरानी में लेकर अपास्त बाबद यह निगरानी तहसीलदार महोदय धार द्वारा मुझ शारदा के विरूद्ध जारी सूचना पत्र, कार्यवाही व वसूली विचाराधिकार रहित होकर अपास्त होना अर्ज है सुनवाई में कोई कानूनी त्रुटि हो तो सुमोटो में प्रकरण लिया जाकर पूर्व की अर्ज जो मैने दी है उसे इसके साथ रखी जाकर सुनवाई होना अर्ज है नकल से मुक्ति बाबद अलग से अर्जी दी है जो उपलब्ध प्रपत्र की नकल पेश है क्षमा की अर्जी स्वीकार होकर मेरी याचना सुनवाई में ली जाना अर्ज है। इस

R 2387 PB 2/16 धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
16/2/17	आवेदक अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित। तीन बार पुकार लगायी गयी, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। [signature] अध्यक्ष	